न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/269
दायरा तिथि : 16-10-2023
आदेश तिथि : 25-10-2023
प्रार्थी :–

मानसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंहजी जाति राजपूत निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

आदेश दिनांकः 25-10-2023

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाली की अभिशंषा सहित प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 799, 317, 318, 802, 815, 824, 816, 817, 825, 826, 827 में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एवं मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि मे बतौर अभिलेखीय शपथ पत्र, साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ई–श्रम कार्ड की प्रतियां पेश की गई।

इस संबंध में तहसीलदार बाली ने जांच प्रतिवेदन मय पटवारी हल्का बेडा प्रथम एंव उपतहसीलदार बेडा की जांच रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एवं मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ई–श्रम कार्ड की प्रतियों व शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **मान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज के दौरान होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एवं मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** के स्थान पर **मान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 799, 317, 318, 802, 815, 824, 816, 817, 825, 826, 827 में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एवं मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मान सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

आदेश आज दिनांक 25-10-2023को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

क्रमॉक / कोर्ट / 2023 / 731-32 दिनांक : 25-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)